

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ.5(1) आ.प्र.एवं सहा./गौशाला/2014 9952-94 जयपुर, दिनांक: ३.८.१५

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),  
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर,  
भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू,  
दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर,  
जालौर, झालावाड़, जैसलमेर, झुंझुनूं जोधपुर, करौली,  
कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,  
सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

विषय:- अभाव सम्बत् 2071 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर-अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा अभाव सम्बत् 2071 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर-अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में विभिन्न जिला कलेक्टर्स द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि किस तिथि से गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत किया जावे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को तहसीलदार द्वारा की गई प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण दिनांक से अनुदान स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण दिनांक की प्रमाणिकता की सुनिश्चिता जिला कलेक्टर द्वारा की जावे, तत्पश्चात ही अनुदान स्वीकृति जारी की जावे।

भवदीय,  
*(Signature)*  
शासन सचिव ३१/८/१५

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव